उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

संदेहात्मक जमाबन्दी अपील वाद संख्या – 25/2016

राज्य बनाम् तरूण कुमार तालपात्रा वगै0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी

13-09-2017

सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं समर्पित कागजातों का अवलोकन किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा सन्देहात्मक जमाबन्दी वाद सं0– 33/2015–16/ 50/2015–16 राज्य बनाम श्रीमति गौरी तालपात्रा में दिनांक 09.03.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध अंचल कार्यालय, रामगढ़ का पत्रांक 1046 दिनांक 29. 04.2016 के आलोक में सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अपील दायर किया गया है। अपील वाद अंगीकृत करते हुए विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता की ओर से दायर अपील आवेदन एवं विपक्षी की ओर से दायर कारण पृच्छा तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा कैथा थाना नं0–85 थाना रामगढ़, खाता सं0–84 प्लॉट नं0– 2066, 2067, 2068 कुल जमा रकवा–10.05 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। जिसका हस्तानान्तरण एवं जमाबन्दी राजस्व पंजी में संदिग्ध प्रतीत होता है।

664/निर्गत 11/10/17

अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा रान्देहात्मक जमाबन्दी वाद सं0– 33/2015–16/ 50/2015–16 राज्य बनाम श्रीमति गौरी तालपात्रा में दिनांक 09.03.2016 को पारित आदेश से सहमत होने का कोई ठोस आधार नही है। अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को पुनः नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु यह वाद उन्हे **रिमान्ड** किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

13/9/17

उपायुक्त,
रामगढ़।

13/9/17

उपायुक्त,
रामगढ़